बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 132627 पटना, दिनांक 14/12/12

ग्रा0वि0-6/एस.जी.एस.वाई./एन.आर.एल.एम.-10/2012

ई-मेल

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
औरंगाबाद, बेगुसराय, भोजपुर, सारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना,
सहरसा, वैशाली, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णियाँ, शिवहर, रोहतास, भागलपुर एवं गोपालगंज ।

विषय :- **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2011-12 में जन-जातीय क्षेत्रीय उप योजना के लिए विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि ` 1567.422 लाख (पन्द्रह करोड़ सड़सठ लाख बियालीस हजार दो सौ) के विरूद्ध देय सहायक अनुदान की राशि के रूप में कुल ` 522.48 लाख (पॉच करोड़ बाईस लाख अड़तालीस हजार) की राशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-132424 दिनांक- 13.12.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार** योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2011-12 में जन-जातीय क्षेत्रीय उप योजना के लिए प्रथम किस्त के रूप में एवं स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में निर्देश संस्था द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम के लिए द्वितीय किस्त के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि ` 1567.422 लाख (पन्द्रह करोड़ सड़सठ लाख बियालीस हजार दो सौ) के विरूद्ध के रूप देय सहायक अनुदान की राशि में कुल ` 522.48 लाख (पॉच करोड़ बाईस लाख अड़तालीस हजार) की राशि का वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभागीय आवंटन आदेश संख्या- 99293, दिनांक- 30.03.12 द्वारा आवंटित किया गया था । परन्तु उक्त राशि को उप विकास आयुक्तों द्वारा निकासी नहीं होने के कारण इसे प्रत्यार्पित कर दिया गया था । अतएव देय सहायक अनुदान की राशि कुल ` 522.48 लाख (पॉच करोड़ बाईस लाख अड़तालीस हजार) को वर्तमान वित्तीय वर्ष में निम्न रूप से आवंटित किया जाता है:-

(रूपये लाख में)

क्रम	**जिला का नाम**	**प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि विमुक्ति संबंधी भारत सरकार के आदेश सं0 एवं तिथि**	**प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त केन्द्रांश विमुक्त राशि**	**देय अनुपातिक राज्यांश के रूप में सहायक अनुदान का वर्ष 2012-13 में पुनर्आवंटित राशि**
1	2	3	4	5
1.	औरंगाबाद	G-20011/1/2011-SGSY-1(31) dated-15.04.11	**66.30**	22.10
2.	बेगुसराय	" "	**93.47**	31.16
3.	भोजपुर	" "	**74.99**	25.00
4.	सारण	" "	**118.66**	39.55
5.	मधुबनी	" "	**194.01**	64.67
6.	मुजफ्फरपुर	" "	**172.41**	57.47
7.	नवादा	" "	**56.51**	18.84
8.	पटना	" "	**118.18**	39.39
9.	सहरसा	" "	**62.18**	20.73

10.	वैशाली	" "	137.57	45.86
11.	दरभंगा	G-12014/1/2011-SGSY-(99) dated-29.08.11	95.04	31.68
12.	मुंगेर	J-12014/06/2010-SGSY(103) dated-06.09.11	34.99	11.66
13.	पूर्णियाँ	J-12014/12/2010-SGSY-1(102) dated-02.09.11	93.96	31.32
14.	शिवहर	J-12014/03/2011-SGSY-I(112) dated-29.09.11	20.63	6.88
15.	रोहतास	J-12014/15/2010-SGSY-I(107) dated-16.09.11	72.48	24.16
16.	भागलपुर	J-12014/02/2011-SGSY-I(104) dated-07.09.11	71.49	23.83
17.	गोपालगंज	J-12011/20/2010-SGSY-I(117) dated-21.10.11	67.99	22.66
18.	मुजफ्फरपुर (निर्देश संस्था हेतु द्वितीय किस्त)	J-17014/4/2006-SGSY-II(SP) dated-28.12.11	16.562	5.52
		कुल :-	1567.422	522.48

2) राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-132424 दिनांक- 13.12.2012 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है ।

3) आवंटित राशि मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उप योजना, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अंतर्गत उप शीर्ष-0101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, विपत्र कोड-पी.2501067960101, विषय शीर्ष-50 03 सहायक अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलनीय है।

4) आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी ।

5. यह आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561वि.(2) दि0-17.04.98 एवं पत्रांक-159वि. दि0-20.03.09 की कंडिका-2 में निहित निदेशों एवं शर्तों का अनुपालन कर निर्गत किया जा रहा है ।

6. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि0(2) दि.-17.04.98 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा ।

7. संबंधित उप विकास आयुक्तों से अनुरोध है कि आवंटित राशि की निकासी कर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शकों के अधीन राशि का व्यय कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक आने वाले माह की 5वीं तारीख तक विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध करावें एवं ए.सी. बिल से निकासी की गई राशि के विरूद्ध डी.सी. बिल कोषागार एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

14/1/13

(अजय कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव